(655)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः-प.6(6)नविवि/वा.यो./2017 जयपुर, दिनांकः 01.09.17

आदेश

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.17 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि आपको विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.08.2017 द्वारा समुचित कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है, के बिन्दु संख्या 4 एवं 5 में निम्न प्रकार निर्देशित किया गया है :-

4. PMC cells for major projects should be established in departments. PMC should have-
   a- Trained manpower specifically for clearances.
   b- One project in-charge for every major project.
5. PMC should identify bottlenecks and pursue with all stake holders for expeditious and timely resolution.

अतः उक्त निर्देशों की पालना हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक 965-1076 दिनांक 10.08.17 की प्रति संलग्न करते हुये लेख है कि आपकी संस्था से सम्बन्धित प्रत्येक मेजर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में उस प्रोजेक्ट को पूर्ण किये जाने में आ रही बाधाओं को दूर किये जाने हेतु एक प्रोजेक्ट मोनिटरिंग सेल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाये अनुसार) का गठन किया जावे, जिसमें एक प्रशिक्षित अधिकारी को नामित किया जावे, जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही यथा-अन्य विभागों से सम्पर्क कर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना तथा बाधाओं को दूर करने का कार्य, समय पर किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा। कृपया सेल का उक्तानुसार गठन कर 5 दिवस में सूचित करें।

संलग्न -उपरोक्तानुसार

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(मुकेश शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. सचिव,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आयुक्त/सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव,नगर विकास न्यास (समस्त राजस्थान)
5. महाप्रबन्धक, जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन, जयपुर
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग
7. वरिष्ठ शासन सचिव,नविवि को विभागीय वेबसाईड पर आपलोड करने हेतु ।
8. अन्य सम्बधित

संयुक्त शासन सचिव,तृतीय